सं०सं० 3/न्याय–01–19/2012

**बिहार सरकार**

**स्वास्थ्य विभाग**

243 (3)

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना, ।
अवर सचिव,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 22.05.17

**विषयः** **अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(Civil) CC संख्या 24758–24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 825 दिनांक 28.01.2011 के द्वारा इंदिरा गॉधी हृद्य रोग संस्थान, पटना के स्नातकोत्तर डिग्री धारक चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गयी तथा वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 11637 दिनांक 22.12.2011 के द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक को सेवानिवृति की उम्र सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गयी ।

2. बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान, पटना के चिकित्सकों की तरह हीं उनका भी सेवा निवृति की उम्र सीमा 28.01.2011 के प्रभाव से हीं करने हेतु समादेश याचिका सं0 9653/2011 एवं अन्य रीट याचिकायें दायर की गयी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2012 को आदेश पारित किया गया ।

3. विभाग द्वारा एवं कतिपय चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा उक्त पारित आदेश (14.02.2012) के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 सं0 852/2012, (बिहार राज्य सरकार एवं अन्य बनाम डा0 राधा कृष्ण चौधरी) तथा समरूप अन्य एल0पी0ए0 दायर किये गये । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0 852/2012 एवं अन्य समरूप वादों में दिनांक 28.06.2016 को बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों के सेवानिवृति की आयु 28.01.2011 के प्रभाव से हीं 65 वर्ष करने का आदेश पारित किया गया ।

243 (3)
22.05.17

4. उक्त एल0पी0ए0 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP(Civil) CC संख्या 24758-24765/16, (बिहार सरकार एवं अन्य बनाम राधाकृष्ण चौधरी एवं अन्य) दायर किया गया, जो अभी तक विचाराधीन है एवं स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ।

5. समादेश याचिका सं0 9653/2011 के समरूप याचिका स0 12155/2011 (डा0 अरूण कुमार झा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य)में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2012 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद स0 1674/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2017 को पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

``The respondents are directed to purge the contempt, grant benefit to the petitioners and file on affidavit before this Court by the next Wednesday (03.05.2017) failing which this Court shall be constrained to pass order in accordance with law. Merely because a Special Leave Petition has been filed before the Hon'ble Supreme Court and there being no stay order granted by the Hon'ble Supreme Court, the respondents cannot purge of the proceeding of contempt for non-compliance of the impugned order. At best, the respondents can take an undertaking from the petitioners that they shall have to refund the amount in case any adverse order is passed against them and on such an undertaking the amount should be paid to them."

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के अनुपालन में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी जो 62 वर्ष की आयु में दिनांक 28.01. 2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवानिवृत हो चुके हैं, उन्हें 65 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतन एवं अन्य सेवान्त लाभ का भुगतान SLP(Civil) CC संख्या 24758–24765/2016 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त पर करने की स्वीकृति दी जाती है ।

243(3)
22.5.17

7. एत्‌दसंबंधी भुगतान करने हेतु प्राधिकार पत्र/वेतन पर्ची (यथा स्थिति अन्तर राशि का समायोजनोपरान्त) निर्गत करने के पूर्व संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों से राशि की वसूली का लिखित शपथनामा (Undertaking) संलग्न विहित प्रपत्र में ले लेना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रतिलिपि विभाग को देंगे ।

8. इसमें मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है ।

9. प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त ।

ह0/–

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य।

ज्ञापांक : 3/न्याय–01–19/2012– 843(3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 22.05.17

**प्रतिलिपि** : मंत्रिपरिषद, बिहार की बैठक दिनांक 09.05.2017 के मद संख्या–07 की स्वीकृति के आलोक में वित्त विभाग/विधि विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/प्राचार्य, चिकित्सा महाविधालय, अस्पताल, बिहार/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वा0 एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, पटना/ मुजफ्फरपुर/भागलपुर निदेशक, लोकनायक जय प्रकाश नारायण हड्‌डी अस्पताल, राजबंशीनगर, पटना/न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल, पटना/राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्र अस्पताल, पटना/मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर, भोजपुर/फिल्ड डिमोन्सट्रेशन सेन्टर, राजगीर/यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, दरभंगा एवं पटना/लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/अधीक्षक, गुरूगोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना/संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुऑं, पटना/लेडि एल्गिन जनाना अस्पताल, गया/एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : डा0 अरूण कुमार झा, डा0 राधा कृष्ण चौधरी एवं स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के समरूप अन्य चिकित्सा पदाधिकारी जो दिनांक 28.01.2011 से 22.12.2011 के बीच वार्धक्य सेवा निवृत हुए हैं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : सभी जिला कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3,7,8,9,10,12,16,17 एवं 18(ए) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि** : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

22.5.17

प्रधान सचिव, स्वास्थ्य।

843(3)
22.05.17

D:\Old System Data\New folder\2017\Latter & Order-2017.docx

# शपथ–पत्र

मैं डा0..........................................................................................................

पिता/पति का नाम ..........................................................................

निवासी ..................................................................................................

............................................................................ दिनांक ......................................

को वार्धक्य सेवा निवृत, कार्यालय का नाम .....................................

....................................., एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि एम0जे0सी0 संख्या–1674/2012 में दिनांक 26.04.2017 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कम में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ............................ दिनांक ........................................ के प्रसंग में भुगतान प्राप्त हाने वाली कुल राशि एस0एल0पी0 संख्या–24758–24765/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित होनेवाले आदेश से प्रभावित **होगी** । **भुगतान** में प्राप्त कुल राशि यदि पारित आदेश के आलो**क** में लौटाना पड़े तो उसे वापस कर दूँगा ।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

243(3)
22.5.17